A23

संख्याः-2436/III(2)/16-61(ए0क्यू0)/2012

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यॉंकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2016

विषयः- **जनपद हरिद्वार में लालढ्रांग-रसूलपुर-मीठीबेरी के मध्य रवासन नदी पर 300 मी0 स्पान आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रेस डबल लेन सेतु के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 300 मी0 स्पान सेतु तथा लागत ₹ 3148.23 लाख है, पर **टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 2923.47 लाख {₹ 2918.59+4.88 (अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्य)} के सापेक्ष नियोजन विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30-08-2016 को सम्पन्न व्यय-वित्त समिति की बैठक में विषयगत सेतु के लिए अनुमोदित 200 मी0 waterway के आधार पर कार्य हेतु प्रस्तावित लागत के सापेक्ष अनुमोदित दो तिहाई लागत अर्थात ₹ 1916.42 लाख (पूर्व में स्वीकृत प्रथम चरण की धनराशि ₹ 32.56 लाख को कमानुपात के अनुसार कम करते हुए)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) प्रस्तुत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय।

(iv) मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30-08-2016 को व्यय-वित्त समिति की सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय तथा तद्नुसार निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 05 सितम्बर, 2016 **(प्रतिलिपि संलग्न)** में उल्लिखित प्रस्तर-6 में दिये गये परामर्शानुसार यथाआवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, कार्यवृत्त में उल्लिखित निम्न शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें :-

- लोक निर्माण विभाग को ही किसी भिन्न दक्ष संस्था से design व drawing की proof checking कराना होगा
- यदि लोक निर्माण विभाग को किसी भी स्तर पर डी0पी0आर0 में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है, ऐसी स्थिति में प्रशासनीक विभाग, सिंचाई विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कर संशोधित डी0पी0आर0 को व्यय-वित्त समिति के समक्ष पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

(v) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(vi) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(viii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(ix) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किया जा रहा कार्य पूर्व में स्वीकृत है अथवा अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 509/XXVII/(2)/2015 दिनांक 12 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्याः–2436/III(2)/16–61(ए0क्यू0)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोनिवि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूड़की।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव